वार्षिक लेखा

2020-21

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड

आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार

कोर-IV बी, प्रथम तल, भारत पर्यावास केंद्र, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

वैबसाइट: www.ncrpb.nic.in

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड

शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार

(विषय सूची)

क्र.सं.	संक्षिप्त विवरणिका	पृष्ठ सं.
1	लेखा परीक्षा प्रमाण पत्र	i-iv
2	तुलन पत्र	1
3	आय और व्यय लेखा	2
4	प्राप्तियां एवं भुगतान	3
5	अनुसूची 1 से 16	4 - 13
6	31.03.2021 को बनाए गए तुलन-पत्र में संलग्न महत्वपूर्ण लेखा नीतियां (अनुसूची-17)	14 - 17
7	31.03.2021 को बनाए गए तुलन-पत्र के गये खातों पर आकस्मिक देयताएं पर टिप्पणी (अनुसूची - 18)	18 – 22

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Trust in Public Interest

संख्या / No.

भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग,
कार्यालय, महानिदेशक लेखापरीक्षा (इन्फ्रास्ट्रक्चर), दिल्ली
INDIAN AUDIT & ACCOUNTS DEPARTMENT,
OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF AUDIT
(INFRASTRUCTURE), DELHI

गोपनीय

दिनांक / Dated

सेवा में,

सचिव, भारत सरकार,
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड
नई दिल्ली-110011

विषय-वर्ष 2020-21 के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड (NCRPB) के लेखाओं पर पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

महोदय,

मै इस पत्र के साथ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड (NCRPB) के वर्ष 2020-21 के सत्यापित लेखाओं की प्रति तथा उन पर पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संसद के पटल पर रखने के लिए अग्रेषित कर रही हूँ।

कृपया यह सुनिश्चित किया जाए कि पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करने से पहले वार्षिक लेखों को शासी निकाय (Governing body) को नियमानुसार प्रस्तुत किया जाए।

संसद को प्रस्तुत कर दस्तावेजों की दो प्रतियाँ उस तिथि को दर्शाते हुए, जब वे संसद को प्रस्तुत किए गये थे, इस कार्यालय को तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के कार्यालय को भेजी जाए।

भवदीया

हस्ता0
(विधु सूद)
प्रधान निदेशक

संख्याः- PDA/Infra/ IHQ-I/27-68/21-22/243
दिनाँकः- 2/12/21

प्रतिलिपिः-

1. सदस्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड (NCRPB), प्रथम तल, कोर-IV-B, भारत पर्यावास केन्द्र, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003, को पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न की जा रही है।

(विधु सूद)
प्रधान निदेशक

तृतीय तल, ए-स्कन्ध, इन्द्रप्रस्थ भवन, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली-110002
3rd Floor, A-Wing, Indraprastha Bhawan, I. P. Estate, New Delhi-110002
दूरभाष/Tele.: 011-23378473, फैक्स/Fax : 011-23378432, 011-23370871
E-mail : pdainfradl@cag.gov.in

Separate Audit Report of the Comptroller & Auditor General of India on the Accounts of National Capital Region Planning Board for the year ended 31 March 2021

We have audited the attached Balance Sheet of National Capital Region Planning Board (NCRPB) as at 31 March 2021 and Income and Expenditure Account / Receipt and Payment Account for the year ended on that date under section 19(2) of the Comptroller & Auditor General's (Duties, Powers & Conditions of Service) Act, 1971 read with Section 25 of the National Capital Region Planning Board Act, 1985. These financial statements are the responsibility of the NCRPB's management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

2. This Separate Audit Report contains the comments of the Comptroller & Auditor General of India (CAG) on the accounting treatment only with regard to classification, conformity with the best accounting practices, accounting standards and disclosure norms, etc. Audit observations on financial transactions with regard to compliance with the Law, Rules & Regulations (propriety and regularity) and efficiency-cum-performance aspects etc., if any, are reported through Inspection Report / CAG's Audit Reports separately.

3. We have conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. These standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatements. An audit includes examining, on a test basis, evidences supporting the amounts and disclosure in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by the management, as well as evaluating the overall presentation of financial statements. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

4. Based on our audit, we report that:

(i) We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit.

(ii) The Balance Sheet and Income and Expenditure Account / Receipt and Payment Account dealt with by this report have been drawn up in the format prescribed by the Ministry of Finance.

(iii) In our opinion, proper books of accounts and other relevant records have been maintained by the National Capital Region Planning Board as required under Rule 33 (1) and (2) of the National Capital Region Planning Board Rules, 1985 in so far as it appears from our examination of such books.

(iv) We further report that

Grants-in-Aid

During 2020-21, NCRPB has received Grants-in-Aid of Rs. 35 crore (Contribution / Capital) and Rs. 4.93 crore (Salary and General). NCRPB utilized the entire Grants-in-Aid of Rs. 39.93 crore received during the year (as per Utilization Certificates submitted by the Management).

(v) Subject to our observations in the preceding paragraphs, we report that the Balance Sheet and Income & Expenditure Account / Receipt & Payment Account dealt with by this report are in agreement with the books of accounts.

(vi) In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the said financial statements read together with the Accounting Policies and Notes on Accounts, and subject to the significant matters stated above and other matters mentioned in Annexure to this Separate Audit Report, give a true and fair view in conformity with accounting principles generally accepted in India;

(a) In so far as it relates to the Balance Sheet, of the state of affairs of the National Capital Region Planning Board as at 31 March 2021; and

(b) In so far as it relates to Income & Expenditure Account of the surplus for the year ended on that date.

For and on behalf of the
Comptroller and Auditor General of India

(Vidhu Sood)
Principal Director of Audit (Infrastructure)
New Delhi

Place: New Delhi
Dated: 2 December 2021

Annexure to Separate Audit Report
(on the annual accounts of National Capital Region Planning Board for the year ended on 31 March 2021)

1. Adequacy of Internal Audit System

Internal Audit Report for the period October 2020 to March 2021 has not been provided to Audit.

2. Adequacy of Internal Control System

Internal control needs to be further strengthened, especially in regard of the following:

(i) No Audit Committee has been formed by NCRPB.

(ii) There is no approved Whistle Blower Policy in NCRPB.

(iii) There is no operational, financial and accounting manual or standard operating procedures for effective accounting and control.

(iv) During the year 2020-21, only one meeting of NCRPB Board was held inspite of NCRPB Rules, 1985, prescribing for atleast once in every six months.

3. System of Physical Verification of Fixed Assets

The sanction orders of Grants-in-aid received by NCRPB states that NCRPB should maintain in a register in Form GFR – 22 a record of the permanent and semi-permanent assets acquired wholly or mainly out of the Government funds. The register should be maintained separately in respect of the financial assistance sanctioned by the Ministry of Housing and Urban Affairs. The sanction orders also states that such assets should not be disposed of, encumbered or utilized for purposes other than those for which the amount was given without the prior permission of Ministry of Housing and Urban Affairs. However, no such classification was made and assets procured from Government assistance were not separately shown in the Fixed Asset register. In absence of such a classification, audit could not ascertain if any asset bought from Government assistance was disposed without prior permission of the Ministry or not.

4. System of Physical Verification of Inventory

During the year 2020-21, physical verification of NCR Books and publications was carried out by a committee formed by the management. The committee in its report stated that the closing balances indicated in the NCR publication Stock Register was found to be in order.

5. Regularity in payment of Statutory Dues

NCRPB is regular in payment of statutory dues.

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड

31.03.2021 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र

(राशि रुपये में)

विवरण	अनुसूची	वर्तमान वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
कॉर्पस/पूंजीगत निधि और देयताएं			
रा.रा.क्षे.यो.बो. निधि (कोष / पूंजी निधि)	1	59,493,866,473	55,631,038,751
विशेष आरक्षित	2	0	0
निर्धारित/बंदोबस्ती (एडोमैंटकोष)	3	1,400	1,400
सुरक्षित ऋण	4	9,057,546,108	0
असुरक्षित ऋण	5	0	9,923,753,993
स्थगित ऋण देयताएं		0	0
चालू देयताएं और प्रावधान	6	601,757,825	584,925,295
कुल		**69,153,171,806**	**66,139,719,439**
परिसंपत्तियां			
अचल परिसंपत्तियां	7	5,229,551	5,844,324
भविष्य निधि/एनपीएस का निवेश	8	498,555,545	323,227,451
निवेश - एनसीआरटीसी में योगदान	9	50,000,000	50,000,000
चालू परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि	10	68,599,386,710	65,760,647,664
विविध व्यय (बट्टे खाते न डाली गई या समायोजित न की गई मात्रा तक)			
योग		**69,153,171,806**	**66,139,719,439**
महत्वपूर्ण लेखा प्रणाली नीतियां	17		
आकस्मिक देयताएं और लेखों पर टिप्पणियां	18		

ह./-
वित्त एवं लेखा अधिकारी

ह./-
निदेशक (प्र. एवं वित्त)

ह./-
सदस्य सचिव

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड

दिनांक 31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय लेखा

(राशि रुपये में)

आय	अनुसूची	वर्तमान वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
बिक्री/सेवाओं से आय		0	0
अनुदान/इमदाद (योगदान)		तुलन पत्र में अंतरित	तुलन पत्र में अंतरित
अनुदान/इमदाद (वेतन और सामान्य)		49,300,000	51,000,000
शुल्क और अभिदान		-	-
निवेश द्वारा निर्धारित / बंदोबस्ती निधियों से आय		-	-
रा.रा.क्षे. प्रकाशनों की बिक्री से आय		-	1,125
अर्जित ब्याज	11	4,081,426,090	4,250,677,074
अन्य आय	12	16,743,687	31,813,695
तैयार माल के स्टाक में वृद्धि/कमी और कार्य में प्रगति		(581)	(601)
योग (क)		**4,147,469,196**	**4,333,491,293**
व्यय			
स्थापना व्यय	13	144,429,042	141,123,317
अन्य प्रशासनिक व्यय आदि	14	22,506,464	24,425,182
बाजार ऋण पर व्यय	15	400,292,311	1,048,750,886
मूल्यह्रास अनुसूची -7 के अनुरूप		909,883	1,029,052
अवसंरचना परियोजना हेतु अनुदान पर व्यय			-
कुल (ख)		**568,137,700**	**1,215,328,437**
व्यय की तुलना में आय से अधिक शेष (क-ख)		**3,579,331,496**	**3,118,162,856**
पूर्व-अवधि व्यय	16	66,503,774	5,757,516
बॉन्ड रिडेम्पशन रिजर्व (बीआरआर) में अंतरित			
उप योग		**66,503,774**	**5,757,516**
व्यय की तुलना में आय की निपल अधिकता रा.रा.क्षे.यो.बो. निधि में अंतरित		**3,512,827,722**	**3,112,405,340**
महत्वपूर्ण लेखा प्रणाली नीतियां	17		
आकस्मिक देयताएं और लेखों पर टिप्पणियां	18		

ह./-
वित्त एवं लेखा अधिकारी

ह./-
निदेशक (प्र. एवं वित्त)

ह./-
सदस्य सचिव

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष की प्राप्तियां एवं भुगतान

(राशि रुपये में)

प्राप्तियां	वर्तमान वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष	भुगतान	वर्तमान वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
I. आरम्भिक शेष			**I. व्यय**		
क) हाथ में रोकड		0	क) स्थापना व्यय	114,910,356	92,383,017
ख) बचत खाते में शेष	20,826,311	3,085,188,020	(अनुसूची -13 के अनुरूप)		
ग) भविष्य निधि बचत खाते में शेष	114,229	663,470	ख) प्रशासनिक व्यय	22,260,133	30,419,675
घ) नकद व नकद तुल्य	520	1,410	(अनुसूची-14 के अनुरूप)		
उप योग	**20,941,060**	**3,085,852,900**	ग) बाजार उधारी पर व्यय	279,256,168	339,861,013
			(अनुसूची-15 के अनुरूप)		
II) प्राप्त अनुदान			**II. राज्य सरकारों/अभिकरणों (एजेंसियों) को प्रदान किया गया ऋण**	3,469,900,000	7,959,600,000
क) आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय से योगदान	350,000,000	500,000,000			
ख) आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय से योगदान राजस्व अनुदान	49,300,000	51,000,000			
III) निवेश पर आय (पीएफ/एनपीएस व सेवानिवृत्ति लाभों निधि)			**III. निवेश व जमा**		
क) बचत खाते पर ब्याज	6,727	35,627	क) सावधि जमा (एफडीआर) में निवेशित राशि	6,639,330,031	2,600,000,000
ख) भविष्य निधि/सेवानिवृत्ति पर ब्याज	11,336,818	29,161,704	ख) भविष्य निधि/एनपीएस/सेवानिवृत्ति लाभ	346,815,442	446,897,606
IV) प्राप्त ब्याज			**IV. अचल संपत्तियों पर व्यय**		
क) राज्य सरकार/एजेंसियों को दिए ऋण पर ब्याज	3,557,262,476	3,351,698,639			
ख) बचत बैंक	2,286,549	26,761,474	क) अचल परिसंपत्तियों का क्रय	294,490	202,660
ग) बैंक जमा पर	21,203,844	384,251,469			
घ) स्टाफ ऋण पर प्राप्त ब्याज	16,925	231,045			
ई) आयकर वापसी पर ब्याज	33,583,121	20,520,493			
V) अन्य आय			**V. राज्य सरकार को अतिरिक्त धनराशि/ऋणों की वापसी**	0	0
क) रा.रा.क्षे. प्रकाशनों पर बिक्री	0	1,125			
ख) आरटीआई शुल्क	410	640	**VI. ऋणों व अग्रिमों का भुगतान**		
ग) भर्ती के लिए आवेदन शुल्क	400	21,701	क) स्टाफ को विविध अग्रिम	698,537	799,964
घ) पुराने समाचार पत्र की बिक्री	2,545	0	ख) जीपीएफ से अग्रिम आहरण	3,261,809	5,207,499
ड.) विविध प्राप्तियां	905	0	ग) प्रशिक्षण एवं सम्मेलन अग्रिम	0	472,426
VI) उधार ली गई राशि			**VII. अन्य भुगतान**		
क) (एडीबी) एशियाई विकास बैंक से ऋण	0	0	क) मूलधन की वापसी (एडीबी/केएफडब्ल्यू ऋण)	1,000,797,659	679,157,964
ख) केएफडब्ल्यू (जर्मन द्विपक्षीय) से ऋण	0	0	ख) अतिरिक्त प्राप्तियों की वापसी	0	0
			ग) बयाना/सुरक्षा जमा	0	0
VII) अन्य प्राप्तियां			घ) ब्याज भुगतान पर टीडीएस कटौती	179,632,497	232,708,597
क) राज्य सरकारों द्वारा ऋण वापसी	5,070,761,233	4,507,503,633	ड.) जीआईएस राशि का भुगतान	26,351	25,744
ख) ऋण पर अधिक वापसी		455,390	च) रा.रा.क्षे.यो.बो. द्वारा जमा कराय	6,542,502	8,466,176
ग) भुनाई गई सावधि जमा	2,369,400,000	10,200,000,000	छ) प्रतिनियुक्त कर्मचारियों से वसूली	1,775,790	856,831
घ) पीएफ/एनपीएस/ईआरबी की परिपक्वता	175,380,052	547,642,464	ज) नई पेंशन योजना का भुगतान	811,106	1,157,537
ड.) लाइसेंस फी	47,559	54,289	झ) आरटीआई		990
च) स्टाफ से अग्रिम की वसूली	329,085	546,070	ञे) अंशदान	141,732	0
छ) प्रतिनियुक्ति/कर्मचारियों से वसूली	1,638,632	866,997			
ज) जीआईएस धनराशि की वसूली/एलआईसी से प्राप्तियां	45,046	23,809			
झ) जीपीएफ अंशदान/अग्रिम/वापसी	6,180,016	6,177,644			
ड.) एनपीएस वसूली	744,646	977,661	**VIII. अंतिम शेष राशि**		
ट) रा.रा.क्षे.यो.बो. द्वारा स्त्रोत पर कर कटौती	5,902,882	6,745,868	क) हाथ में रोकड / प्रीपेड कार्ड में		0
ठ) संगोष्ठी (सेमिनार) और प्रशिक्षण अग्रिम शुल्क की वाप	0	309,113	ख) बचत/सीए खाते में शेष	4,549,489	10,246,902,794
ड) स्टाफ कार के प्रयोग से संबंधित वसूली	7,700	7,000	ग) पीएफ बचत खाते में शेष	216,768	114,229
ढ) आयकर वापसी	394,830,227	124,366,687	घ) नकदी/उसके समकक्ष	0	520
ण) बयाना/सुरक्षा जमा		2,000			
योग	**12,071,210,860**	**22,845,235,442**		**12,071,210,860**	**22,845,235,442**

ह/-
वित्त एवं लेखा अधिकारी

ह/-
निदेशक (प्रशा. एवं वित्त)

ह/-
सदस्य सचिव

अनुसूची 1

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड

31.03.2021 के अनुसार तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

(राशि रुपये में)

	वर्तमान वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
रा.रा.क्षे.यो.बो. निधि (कोष/पूंजी निधि)		
वर्ष के प्रारंभ में शेष	**55,631,038,751**	**52,018,633,411**
जोड़ें: आवासन व शहरी कार्य मंत्रालय से अंशदान	350,000,000	500,000,000
जोड़ें: व्यय पर निवल आय से अंतरण	3,512,827,722	3,112,405,340
जोड़ें: बी आर आर से अंतरित	0	0
वर्ष समाप्ति पर शेष	**59,493,866,473**	**55,631,038,751**

अनुसूची-2

(राशि रुपये में)

	वर्तमान वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
विशेष आरक्षित		
1. बॉन्ड रिडम्प्शन रिजर्व	**0**	0
वर्ष समाप्ति पर शेष	**0**	**0**

ह./-
वित्त एवं लेखा अधिकारी

ह/-
निदेशक (प्र. एवं वित्त)

ह/-
सदस्य सचिव

अनुसूची-3

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड

31.03.2021 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

(राशि रुपये में)

निर्धारित (ऐंडोमेंन्ट) निधि	वर्तमान वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
(क) आरआरटीएस कॉरिडोर की डीपीआर तैयार करने हेतु अध्ययन के लिए आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय से अनुदान		
वर्ष के प्रारंभ में शेष	1,400	1,400
जोड़ें: वर्ष के दौरान आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय से प्राप्त अनुदान	-	-
उप कुल	**1,400**	**1,400**
(ख) आरआरटीएस अध्ययन हेतु किए गए व्यय/उपयोग		
- परामर्शदाता को आरआरटीएस अध्ययन हेतु दिया गया शुल्क	-	-
वर्ष समाप्ति पर निवल शेष (क - ख)	**1,400**	**1,400**

अनुसूची-4

31.03.2021 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

(राशि रुपये में)

सुरक्षित ऋण तथा उधार	वर्तमान वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
क) एशियाई विकास बैंक (एडीबी) से ऋण	3,891,606,109	0
ख) केएफडब्ल्यू (जर्मन द्विपक्षीय एजेंसी) से ऋण	5,165,939,999	0
कुल	**9,057,546,108**	**0**

31.03.2021 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

अनुसूची-5

गैर-जमानती ऋण और उधार	वर्तमान साल	पूर्ववर्ती वर्ष
क) एशियाई विकास बैंक (एडीबी) से ऋण	अनुसूची 4 मे अंतरित	4,110,281,994
ख) केएफडब्ल्यू (जर्मन द्विपक्षीय एजेंसी) से ऋण	अनुसूची 4 मे अंतरित	5,813,471,999
कुल	**0**	**9,923,753,993**

ह/- **वित्त एवं लेखा अधिकारी**

ह/- **निदेशक (प्र. एवं वित्त)**

ह/- **सदस्य सचिव**

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड

31.03.2021 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

(राशि रुपये में)

	वर्तमान वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
वर्तमान देयताएं या प्रावधान		
सांविधिक देयताएं :		
1. सामान्य भविष्य निधि	53,361,214	46,553,115
2. जीआईएस निधि	2,055	2,176
3. प्रतिनियुक्त कर्मचारी से वसूली	141,000	278,890
4. स्रोत पर कर कटौती	574,625	821,745
5. एनपीएस बोर्ड का योगदान	962,825	602,760
उप योग	**55,041,719**	**48,258,686**
उधार पर उपार्जित ब्याज परंतु देय नहीं:		
1. एडीबी ऋण पर ब्याज जमा	3,469,237	15,473,743
2. केएफडब्ल्यू (जर्मन बैंक) से ऋण पर जमा ब्याज	24,290,680	25,839,829
उप योग	**27,759,917**	**41,313,572**
अन्य वर्तमान देयताएं:		
1. देय खर्चे	6,443,370	5,897,492
2. राज्य सरकार/एजेंसियों को ऋण के विरूद्ध अधिक प्राप्तियां	3,419,670	3,419,670
3. अग्रिम ब्याज प्राप्ति	94,931	122,055
उप योग	**9,957,971**	**9,439,217**
प्रावधान:		
1. कर्मचारियों के सेवानिवृति लाभों हेतु		
क) ग्रेच्युटी	34,361,018	32,162,278
ख) पैंशन (वर्तमान)	7,262,535	6,802,038
ग) पैंशन (सेवानिवृत्त)	330,241,892	309,302,137
घ) संचित छुट्टी नकदीकरण	31,815,328	29,798,003
ड.) चिकित्सकीय लाभ (वर्तमान)	710,316	665,277
च) चिकित्सकीय लाभ (सेवानिवृत्त)	55,122,392	51,627,228
उप योग	**459,513,481**	**430,376,961**
2. रा.रा.क्षे.यो.बो. सेल हेतु देय व्यय का प्रावधान	49,484,737	55,536,859
उप योग	**49,484,737**	**55,536,859**
कुल योग	**601,757,825**	**584,925,295**

ह/-
वित्त एवं लेखा अधिकारी

ह/-
निदेशक (प्र. एवं वित्त)

ह/-
सदस्य सचिव

अनुसूची-7

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड

31.03.2021 की स्थिति के अनुसार अचल संपत्तियों का विवरण

(राशि रुपये में)

विवरण	सकल ब्लॉक						मूल्यह्रास					निवल ब्लॉक
	01.04.2020 को ह्रासित मूल्य	180 दिन पूर्व संवर्धन	180 दिन के बाद संवर्धन	वर्ष के दौरान कुल संवर्धन	वर्ष के दौरान विक्रय/हस्तांतरण	31.03.2021 को लागत	दर	वर्ष के प्रारंभ के अनुसार	वर्ष के दौरान संवर्धन	वर्ष की समाप्ति पर कुल योग	31.03.2021 को ह्रासित मूल्य	31.03.2020 को ह्रासित मूल्य
कार्यालय स्थान आईएचसी	3,015,911	-	-	-	0	3,015,911	10%	301,591	-	301,591	2,714,320	3,015,911
वाहन	717,710	-	-	-	0	717,710	15%	107,657	-	107,657	610,053	717,710
फर्नीचर/फिक्सचर	697,590	21,000	-	21,000	0	718,590	10%	69,759	2,100	71,859	646,731	697,590
कार्यालय उपकरण	727,765	97,592	36,398	133,990	0	861,755	15%	109,165	17,369	126,534	735,221	727,765
कंप्यूटर पेरीफेरल	655,852	-	139,500	139,500	0	795,352	40%	262,341	27,900	290,241	505,111	655,852
पुस्तकालय की पुस्तकें	29,496	396	224	620	0	30,116	40%	11,798	203	12,001	18,115	29,496
कुल	5,844,324	118,988	176,122	295,110	0	6,139,434		862,311	47,572	909,883	5,229,551	5,844,324
पूर्ववर्ती वर्ष	*5,844,324*	*194,656*	*334,411*	*529,067*	*0*	*6,873,376*		*924,698*	*104,354*	*1,029,052*	*5,844,324*	*6,344,309*

ह/- वित्त एवं लेखा अधिकारी

ह/- निदेशक (प्र. एवं वित्त)

ह/- सदस्य सचिव

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड

31.03.2021 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

(राशि रुपये में)

	वर्तमान वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
निवेश - अन्य		
(क) भविष्य निधि निवेश		
1. सरकारी प्रतिभूतियां	3,411,385	3,411,385
2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां (बैंक में एफडीआर)	47,963,460	41,908,900
3. अन्य		
भविष्य निधि निवेश पर जमा ब्याज	414,103	440,935
बचत खाते में जमा राशि	216,768	114,229
उप योग	**52,005,716**	**45,875,449**
(ख) सेवानिवृत्ति लाभ निधि		
बैंक में सावधि जमा	439,649,533	266,746,242
निवेश पर जमा ब्याज	6,900,296	10,605,760
उप योग	**446,549,829**	**277,352,002**
सकल योग	**498,555,545**	**323,227,451**

31.03.2021 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

(राशि रुपये में)

निवेश - योगदान	वर्तमान वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
निवेश एनसीआरटीसी में योगदान	50,000,000	50,000,000
सकल योग	**50,000,000**	**50,000,000**

ह/-	ह/-	ह/-
वित्त एवं लेखा अधिकारी	**निदेशक (प्र. एवं वित्त)**	**सदस्य सचिव**

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड
31.03.2021 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

(राशि रुपये में)

	वर्तमान वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि		
क. वर्तमान परिसंपत्तियां		
1. रा.रा.क्षे. पुस्तकों और प्रकाशनों का स्टॉक	249,277	249,858
2. लेखन सामग्री का स्टॉक	140,479	136,813
3. विविध देनदार:		
क) अशोध्य और संदिग्ध ऋण	360,000	98,361
उप योग	749,756	485,032
4. हाथ में नकद शेष	0	0
5. बैंक बैलेंस		
अनुसूचित बैंकों के पास		
- बचत खाता/चालू खाता	4,549,489	20,826,311
निवेश (एफडीआर)	15,097,417,541	10,226,076,483
	15,101,967,030	10,246,902,794
योग (क)	15,102,716,786	10,247,387,826
ख. ऋण, अग्रिम व अन्य परिसंपत्तियां		
1. ऋण:		
क) स्टाफ को अग्रिम	42,000	1,650
ख) अन्य अग्रिम		
I) यात्रा अग्रिम	0	52,000
II) एलटीसी अग्रिम	0	0
III) विविध अग्रिम	55,123	131,159
उप योग	55,123	183,159
ग) राज्य सरकार/कार्यान्वयन एजेंसियां	50,828,050,699	52,428,911,932
2. वसूली योग्य अग्रिम व अन्य राशि		
क) पूर्वदत्त व्यय	15,276	20,726
ख) अग्रिम आयकर/वसूली योग्य टीडीएस (कर का निवल प्रावधान)	973,487,064	1,121,879,330
ग) सैमिनार/बैठक अग्रिम	0	207,689
घ) अन्य (एमटीएनएल और जीएमटी के पास जमानत)	12,648	12,648
ड.) प्राप्ति योग्य आरटीआई शुल्क (पी. ओ. द्वारा)	0	520
उप योग	973,514,988	1,122,120,912
3. उपार्जित आय		
क) सावधि जमा पर अर्जित किंतु अप्राप्य ब्याज	224,212,923	412,386,530
ख) कार्यान्वयन एजेंसियों व राज्यों को दिए ऋण पर अर्जित ब्याज	1,470,567,252	1,549,569,857
ग) स्टाफ ऋण पर अर्जित ब्याज	44,562	61,893
घ) बचत खाते पर अर्जित ब्याज	182,377	23,605
उप योग	1,695,007,114	1,962,041,885
कुल (ख)	53,496,669,924	55,513,259,838
कुल (क + ख)	68,599,386,710	65,760,647,664

ह/-	ह/-	ह/-
वित्त एवं लेखा अधिकारी	निदेशक (प्र. एवं वित्त)	सदस्य सचिव

अनुसूची-11

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड
31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय के भाग के रूप में अनुसूची

(राशि रुपये में)

	अर्जित ब्याज	वर्तमान वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
	पूंजी		
1	**सावधि जमा पर:**		
क)	अनुसूचित बैंकों के पास	540,640,354	787,302,857
ख)	गैर-अनुसूचित बैंकों के पास	-	-
ग)	संस्थानों के पास	-	-
घ)	अन्य	-	-
2	**बचत खातों पर:**		
क)	अनुसूचित बैंकों के पास	2,445,321	17,990,591
ख)	गैर-अनुसूचित बैंकों के पास	-	-
ग)	डाकघर बचत खाते	-	-
घ)	अन्य	-	-
3	**ऋणों पर:**		
क)	राज्य सरकार/उनके अभिकरणों कार्यान्वयन (एजेंसियों) द्वारा प्राप्त ऋण पर ब्याज	3,504,648,507	3,424,855,946
ख)	कर्मचारियों/स्टाफ को दीर्घावधि ऋणों पर ब्याज	3,354	7,187
ग)	राज्य सरकार/उनकी कार्यान्वयन एजेंसियों को ऋण को दंड स्वरूप ब्याज	105,432	-
घ)	आयकर वापसी पर ब्याज	33,583,122	20,520,493
	योग	**4,081,426,090**	**4,250,677,074**

अनुसूची-12

(राशि रुपये में)

	अन्य आय :	वर्तमान वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
	पूंजी		
क)	विविध आय	-	-
ख)	अत्यधिक प्रावधान	1,729,703	5,859,486
ग)	अवसंरचना परियोजनाओं के लिए अनुदान का प्रावधान	-	-
घ)	राज्यों और कार्यान्वयन एजेंसियों को दिए गए ऋण का पूर्व भुगतान शुल्क	-	-
ड.)	भर्ती के लिए शुल्क	400	21,701
	उप योग	**1,730,103**	**5,881,187**
	आय		
च)	**पीएफ/एनपीएस/सेवानिवृत्ति लाभ के निवेश पर ब्याज**		
	पीएफ निवेशों पर ब्याज	2,595,884	548,991
	सेवानिवृत्ति निधि के निवेश पर ब्याज	12,399,758	25,340,071
	पीएफ के बचत खातों पर ब्याज	5,682	36,096
	एनपीएस बचत खातों पर ब्याज	-	-
छ)	भर्ती हेतु आवेदन शुल्क	-	-
ज)	स्टाफ कार के प्रयोग पर वसूली	8,400	7,700
झ)	आरटीआई शुल्क	410	(350)
ड.)	विविध-आय	3,450	-
	उप योग	**15,013,584**	**25,932,508**
	कुल	**16,743,687**	**31,813,695**

ह/- **वित्त एवं लेखा अधिकारी**

ह/- **निदेशक (प्र. एवं वित्त)**

ह/- **सदस्य सचिव**

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड

31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय के भाग के रूप में अनुसूची

(राशि रुपये में)

स्थापना व्यय	वर्तमान वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
पुंजी		
क) वेतन और मजदूरी (आंतरिक जमा से भुगतान)	8,373,986	10,202,834
अन्य		
ख) एनसीआर क्षेत्र प्रकोष्ठों पर व्यय का प्रावधान	47,410,583	43,519,326
उप योग	**55,784,569**	**53,722,160**
आय		
वेतन	29,591,298	27,851,453
भत्ते एवं बोनस	15,718,655	14,707,748
एनपीएस में योगदान	1,312,890	615,418
अन्य		
लीव सैलरी एवं पैंशन योगदान	0	0
जीपीएफ खाते पर ब्याज	3,473,817	3,426,805
भर्ती व्यय	66,872	1,088,606
सम्पदा निदेशालय को दिया गया लाइसेंस शुल्क	540,699	369,453
समाचार पत्र एवं आवधिक पुस्तकें	25,078	3,718
प्रावधान		
ग्रेच्युटी का प्रावधान	3,055,187	3,794,478
संचित अवकाश नकदीकरण का प्रावधान	2,646,941	3,010,377
पैंशन (वर्तमान) का प्रावधान	6,793,279	6,584,900
पैंशन (सेवा निवृत्त) का प्रावधान	21,832,573	21,757,369
चिकित्सकीय लाभ (वर्तमान) का प्रावधान	92,021	876,563
चिकित्सकीय लाभ (सेवा निवृत्त) का प्रावधान	3,495,163	3,314,269
उप योग	**88,644,473**	**87,401,157**
कुल	**144,429,042**	**141,123,317**

ह/-
वित्त एवं लेखा अधिकारी

ह/-
निदेशक (प्र. एवं वित्त)

ह/-
सदस्य सचिव

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड

31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय के भाग के रूप में अनुसूची

(राशि रुपये में)

अन्य प्रशासनिक व्यय	वर्तमान वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
पूंजी		
एनसीआर पुस्तकें और प्रकाशन की लागत	0	0
अध्ययन और सर्वेक्षण	4,680,200	1,133,000
विज्ञापन और प्रचार	-	0
बोर्ड/अन्य बैठकों पर हुआ व्यय	693,729	6,819,718
लेखापरीक्षा शुल्क - एडीबी/केएफडब्ल्यू परियोजनाओं पर	-	0
संगोष्ठी और प्रशिक्षण	-	0
प्रोफेशनल शुल्क	4,005,180	3,521,191
यात्रा प्रभार (योजना)	34,760	102,069
हाउस कीपिंग सेवाएं	2,461,487	3,541,867
उप योग	**11,875,356**	**15,117,845**
आय		
विद्युत एवं जल प्रभार	998,798	200,220
सुरक्षा प्रभार	492,870	452,328
मरम्मत एवं रखरखाव	2,188,826	1,949,279
किराया, दर एवं कर	636,986	636,986
वाहनें चलाना व रखरखाव	432,122	388,384
डाक, टेलीफोन और संचार शुल्क	583,828	1,264,576
प्रिंटिंग व स्टेशनरी	547,562	615,941
यात्रा और वाहन व्यय	501,127	225,180
संगोष्ठी/कार्यशाला/बैठक पर व्यय	3,460	53,790
कानूनी शुल्क पर खर्च	1,377,499	1,983,678
लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक	1,232,639	94,400
आतिथ्य व्यय	354,857	715,576
प्रोफेशनल शुल्क	1,103,667	544,380
अन्य	176,867	182,619
उप योग	**10,631,108**	**9,307,337**
कुल	**22,506,464**	**24,425,182**

ह/-
वित्त एवं लेखा अधिकारी

ह/-
निदेशक (प्र. एवं वित्त)

ह/-
सदस्य सचिव

अनुसूची-15

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड
31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय के भाग के रूप में अनुसूची

(राशि रुपये में)

बाजार उधारी पर व्यय	वर्तमान वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
पूंजी		
क) एनएसडीएल/सीडीएसएल को वार्षिक कस्टोडियल फीस	5,857	0
ख) एडीबी/केएफडब्ल्यू ऋणों पर ब्याज	146,533,157	211,505,063
ग) एडीबी/केएफडब्ल्यू ऋणों पर विनिमय दरों में अंतर	134,589,774	716,174,265
घ) भुगतान (डाक व अन्य) पर बैंक प्रभार	78,475	30,706
ड.) एडीबी/केएफडब्ल्यू ऋण पर गारंटी शुल्क	119,085,048	121,040,852
कुल	**400,292,311**	**1,048,750,886**

31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय के भाग के रूप में अनुसूची

अनुसूची-16

(राशि रुपये में)

पूर्व अवधि व्यय (निवल)	वर्तमान वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
क) एनसीआर सेल पर व्यय	775,589	5,757,516
ख) पूर्व अवधि ब्याज समायोजित	65,869,532	0
ग) पूर्व अवधि ब्याज समायोजित (पीएफ)	(141,347)	0
कुल	**66,503,774**	**5,757,516**

ह/-
वित्त एवं लेखा अधिकारी

ह/-
निदेशक (प्र. एवं वित्त)

ह/-
सदस्य सचिव

अनुसूची 17

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड

दिनांक 31.03.2021 के अनुसार तुलन पत्र के भाग के रूप में संलग्न महत्वपूर्ण लेखा प्रणाली नीतियां

1. **लेखा संविद**

   क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड के वार्षिक लेखे ऐतिहासिक लागत पद्धति और प्रोद्भवन लेखा प्रणाली के आधार पर तैयार किए जाते हैं, जब तक नीचे वर्णित लेखा प्रणाली नीतियों में अन्यथा उल्लेख न किया गया हो ।

   ख) वितीय वर्ष 2020-21 के लिए बोर्ड के लेखों को लेखा परीक्षा के प्रमुख निदेशालय, भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग के निर्देशानुसार केंद्रीय स्वायत्त निकायों के लिए जारी लेखों के समान प्रारूप में बनाया गया है ।

   ग) वार्षिक लेखों में दर्शाए गए आंकड़ों को नज़दीकी मूल्य तक पूर्णांकित किया गया है ।

   घ) आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त अनुदान / सब्सिडी का लेखा प्राप्ति के आधार पर किया जाता है जहाँ अंशदान अनुदान रा. रा. क्षे. यो. बो. निधि में हस्तांतरित किया जाता है तथा अनुदान सहायता (सामान्य और वेतन) का उपयोग इसके निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए किया जाता है ।

2. **आय निर्धारण**

   क) सभी आय को प्रोद्भवन आधार पर लेखों में समाविशित किया गया है ।

   ख) पिछले वर्षों से संबंधित आय को अलग से पूर्व अवधि मदो में लिया गया है ।

3. **व्यय की मान्यता**

   क) सभी व्ययों को प्रोद्भवन आधार पर लिया गया है ।

   ख) सभी पूर्वावधि व्यय, अलग कर पूर्वावधि व्यय (मद) के अंतर्गत दिखाया गया है ।

4. **अचल परिसंपत्ति**

   क) अचल परिसंपति मूल्यह्रास घटाने के पश्चात हासिल मूल्य पर बताई गई है ।

   ख) वर्ष के दौरान किसी भी संपत्ति का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया गया ।

5. अचल परिसंपत्तियो पर **मूल्यह्रास** आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत निर्धारित दर के अनुसार ह्रासित मूल्य पद्धति से प्रभारित किया गया है । मूल्यह्रास आय-व्यय लेखा में प्राधारित किया गया है । मूल्यह्रास की दर अनुसूची 7 में दर्शाई गई है ।

6. सेवा निवृति लाभ

क) बीमांकिक मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार, बीमांकिक आधार पर रा. रा. क्षे. यो. बो. कर्मचारियों सेवा निवृत व उनके आश्रितों के संबंध में सेवानिवृत्ति लाभ अर्थात अर्जित अवकाश नकदीकरण, ग्रेच्युटी और पेंशन तथा चिकित्सा सुविधाओं/लाभ के लिए आवश्यक प्रावधान आय-व्यय लेखों के साथ तुलन पत्र में भी किए गए हैं। वार्षिक प्रावधान बोर्ड के आंतरिक उपार्जन से तैयार किए जाते हैं।

ख) बोर्ड सामान्य भविष्य निधि लेखे का रखरखाव कर रहा है जिसे पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग, भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। संगत वर्ष में भविष्य निधि संबंधी ब्याज की देनदारी राजस्व में प्रभारित की गई है और बोर्ड के भविष्य निधि खाते मे अंतरित की गई है।

ग) नई पेंशन योजना निधि: सरकार ने 01.04.2004 से केंद्र सरकार की सेवा में नयी भर्ती वालो के लिए एक नई पेंशन योजना (एनपीएस) शुरू की है। इसके तहत कर्मचारी द्वारा वेतन और महंगाई भत्ते का 10% मासिक अंशदान करना होता है। इतना ही अंशदान केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। तदनुसार, नई पेंशन योजना निधि का सृजन, राष्ट्रीयकृत बैंक में, मासिक अंशदान को रखते हुए उन कर्मचारियों के संबंध में किया गया है जिनकी नियुक्ति बोर्ड में 01.01.2004 के पश्चात हुई है। व्यय विभाग, वित् मंत्रालय ने दिनांक 17.08.2009 के का.ज्ञा. द्वारा अनुदेश जारी किए थे कि एनपीएस (NPS) की परिधि में आने वाले सभी कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से नेशनल सिक्योरिटी डेपोसिट्री लिमिटेड, सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी, मुंबई में पंजीकृत किया जाए। इसके अनुपालन में सितम्बर, 2009 में एनएसडीएल में आवश्यक पंजीकरण करवाया गया। एनएसडीएल द्वारा जारी अनुदेश के अनुसार एनपीएस की परिधि में आए बोर्ड के कर्मचारियों के संबंध में वर्ष 2009-10 के दौरान एनपीएस निधियाँ एनएसडीएल, सीआरए मुंबई को अंतरित की गई है।

बोर्ड कर्मचारियों से वसूले गए मासिक अंशदान और बोर्ड द्वारा इसके बराबर की राशि एनएसडीएल, सीआरए, मुंबई को भेज रहा है। बोर्ड कर्मचारियों के संबंध में एनपीएस निधि का रख-रखाव अब एनएसडीएल, सीआरए, मुंबई द्वारा किया जा रहा है।

जैसा कि लेखा परीक्षक के साथ चर्चा की गई, एनपीएस नियोक्ता योगदान के लेखों में 01.04.2019 से 31.03.2021 तक ₹6,27,016/- यानि @4% (14% से 10%) की दर से प्रावधान किया गया है तथा वर्ष के दौरान ₹3,37,197/- के पूर्व प्रावधान के साथ वापस लिखा गया।

घ) सामूहिक बीमा देनदारियां

वर्ष 2005-06 के दौरान बोर्ड ने एलआईसी के साथ सामूहिक बीमा योजना नामक एक पॉलिसी ली ताकि किसी भी तरह की देयता को उत्पन्न होते ही पूरा किया जा सके। बोर्ड अपने कर्मचारियों के वेतन से आवश्यक कटौती कर के हर माह एलआईसी को भेजता है। कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति और इस्तीफे पर उनके दावों को अग्रेषित किया जाता है, जिससे पॉलिसी के तहत ब्याज सहित बचत लाभ एवं बीमा कवर जहां कही भी लागू हो, का भुगतान किया जा सके।

7. इंवेंटरी

क) एनसीआर पुस्तके एवं प्रकाशन: बेचीं गई और मानार्थ प्रति के रूप में निशुल्क वितरित की गई एनसीआर पुस्तकों एवं प्रकाशनों की लागत आय-व्यय लेखा में प्रभारित की जाती है तथा

पुस्तकों के क्रय से प्राप्त राशि को एनसीआर पुस्तकों और प्रकाशनों से प्राप्त आय के रूप में दर्शाया गया है। वित्त वर्ष की समाप्ति पर अनबिकी पुस्तकों के स्टॉक का लागत मूल्य के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है और तुलनपत्र में दर्शाया जाता है ।

ख) वित्त वर्ष की समाप्ति पर शेष स्टेशनरी का लागत मूल्य पर मूल्यांकन तुलनपत्र में दर्शाया जाता है ।

8. अध्ययन एवं सर्वेक्षण

अध्ययनो एवं सर्वेक्षणो पर होने वाले सभी व्यय (निर्धारित निधि से किए गए अध्ययन व्ययो को छोड़कर) आय एवं व्यय लेखा में प्रभारित किए जाते हैं ।

9. निर्धारित/ एडोमेन्ट निधि

आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय (भूतपूर्व शहरी विकास मंत्रालय) ने अपने पत्र दिनांक 09.03.2010 द्वारा रा.रा.क्षे.यो.बो. के प्रस्ताव का अनुमोदन किया कि आरआरटीएस के तीन कॉरिडोर के डीपीआर बनाने हेतु अध्ययन का वित्त पोषण अर्बन ट्रांसपोर्ट प्लानिंग के अंतर्गत मंत्रालय की निधि से किया जाएगा। आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय (शहरी विकास मंत्रालय) से आरआरटीएस की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनाने के लिए अनुदान रूप में प्राप्त निधि को अलग से निर्धारित निधि के अंतर्गत दिखाया गया है ।

10. एनसीआर योजना और निगरानी प्रकोष्ठ:

बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार, सभी एनसीआर सेल द्वारा प्रस्तुत दावों के सत्यापन के बाद सभी 4 एनसीआर सेल को निर्धारित सीलिंग के अनुसार कार्यालय के आवर्ती खर्चो तथा वेतन और भत्ते के भुगतान की सभी लागतों की प्रतिपूर्ति रा.रा.क्षे.यो.बो. द्वारा संबंधित राज्य सरकार को की जाती है। ये दावे वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद बोर्ड को प्रस्तुत किए जाते हैं और वित्तीय वर्ष के लेखों में उचित प्रावधान किया जा रहा है तथा अगर ये दावे वित्त वर्ष की समाप्ति के बाद प्राप्त हुए तो इसके लिए संबंधित एनसीआर सेल को पूर्व में किए गए वास्तविक भुगतान के आधार पर प्रावधान किया जाता है। एनसीआर सेल के दावों की प्रतिपूर्ति की निरंतरता अगले 4 वर्षो तक यानि 31.03.2021 तक बोर्ड दवारा अपनी 04.12.2017 को संपन्न 37वीं बैठक में अनुमोदित की गई जिसकी प्रशासनिक स्वीकृति दिनांक 08.01.2018 के पत्रांक जी-25020(1)/2003-04/NCRPB-Vol-V के द्वारा जारी की गई थी ।

11. आयकर

उपयुक्त आयकर प्राधिकरण अर्थात वित मंत्रालय, राजस्व विभाग, आयकर महानिदेशक (छूट), नई दिल्ली के आदेश सं डीजीआइटी (ई)10(23सी)iv /2008 दिनांक 02.05.2008 के द्वारा वर्ष 2003-04 के बाद से रा.रा.क्षे.यो.बो., आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड 23 सी (iv) के उपखंड (iv) के अंतर्गत आयकर से छूट प्राप्त है। इसे देखते हुए बोर्ड के वार्षिक लेखों से आयकर का कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

12. अवसंरचनात्मक परियोजनाओं के लिए अनुदान:

रा.रा.क्षे.यो.बो. दवारा दिनांक 22.03.2012 को संपन्न 32वीं बैठक में आनुमोदित किया गया- रा.रा.क्षे. तथा समसुविधा संपन्न क्षेत्रों में संस्वीकृत जल, सीवेरज तथा जल निकासी की परियोजनाओं की लागत का 15% तक बोर्ड अनुदान सहायता के रूप में प्रदान करेगा। जल, सीवेरज तथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सेक्टर की सभी परियोजनाएँ जो पीएसएमजी (PSMG) दवारा 01.04.2012 तथा इसके बाद 46वीं बैठक (04.08.2011) के बाद स्वीकृत की गई, जिनमे 01.04.2012 तक ऋण राशि प्रदान नहीं की गई है अनुदान राशि पाने के योग्य हैं। यह अनुदान प्रतिपूर्ति के रूप में परियोजना के पूर्ण होने तथा ऋण की अनुबंधित शर्तो को पूरा करने पर प्रदान किया जाएगा। तदनुसार, आय और व्यय खाते में 2011-12 से 2016-17 के लिए आवश्यक प्रावधान किए गए थे। क्योंकि कोई भी कार्यान्वन निकाय शर्तो को पूरा नहीं कर पाया इसलिए अनुदान जारी नहीं किया गया। इस कारण व्यय को अनुसूची 18 में आकस्मिक देयता के तहत दिखाया गया है।

13. बाह्य मुद्रा में लेनदेन

बाह्य मुद्रा में हुए लेनदेन की दिनांक की विनिमय दरों के अनुसार किया जाता है । बाह्य मुद्रा में लिए गए ऋण जैसे एडीबी से अमेरिकी डॉलर तथा केएफडब्ल्यू से यूरो में लिए गए ऋण को वर्ष के अंत में प्रचलित विनिमय दरो के अनुसार परिवर्तित किया है तथा परिणामस्वरूप लाभ / हानि में आय / व्यय को प्रभावित किया गया है ।

ह/-	ह/-	ह/-
वित एवं लेखा अधिकारी	निदेशक (प्र एवं वित्त)	सदस्य सचिव

दिनांक: 14 जुलाई, 2021
स्थान: नई दिल्ली

अनुसूची 18

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड

दिनांक 31.03.2021 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र के भाग के रूप में संलग्न लेखों पर टिप्पणियाँ तथा आकस्मिक देनदारियाँ :-

1. **आकस्मिक देनदारियाँ**

अनुसूची-17 के पैरा 12 के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए ₹4.68/- करोड़ की आकस्मिक देनदारियों का आकलन किया गया, जो कि अवसंरचनात्मक परियोजनाओं के लिए निर्दिष्ट शर्तों की पूर्ति पर ही देय है। चूंकि, इस तरह की कोई भी परियोजना अनुदान के लिए पात्र होने के लिए निर्धारित शर्तों को पूरा नहीं कर पाई, इसलिए वित्त वर्ष 2020-21 में परियोजनाओं के लिए कोई अनुदान राशि जारी नहीं की गई थी, अत: ₹4.68 करोड़ को आकस्मिक देयता में से हटा दिया गया था।

वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए, किसी भी प्रासंगिक परियोजना के गैर-पात्रता के कारण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं (पानी और स्वच्छता) के लिए अनुदान के लिए किसी भी नए आकस्मिक दायित्व का आकलन नहीं किया गया है। हालांकि, सीएमए पटियाला में 208.33 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली एक सीवरेज परियोजना को 2020-21 के दौरान मंजूरी दी गई है और इसके अस्थायी अनुदान घटक (यानी आकस्मिक देयता) 31.25 करोड़ रुपये 2022-23 में परियोजना के पूरा होने पर पात्र होंगे, जैसा भी मामला हो।

2. **पूर्व अवधि व्यय:**

वाणिज्यिक लेखा परीक्षा के प्रधान निदेशक, भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग की टिप्पणियों के अनुसार, अलग ऑडिट रिपोर्ट नंबर-DD-II/वार्षिक A/c. NCRPB10-3/2012-13/489 दिनांक 10.10.2013 के अनुपालन मे, पूर्व-अवधि मदें आय और व्यय खातों में लाइन के नीचे अलग से दिखाई गई है। वर्ष के दौरान किए गए लेन-देन का विवरण निम्नानुसार है:

क) वित्त वर्ष 2019-20 में एनसीआर सेलों पर किए गए प्रावधान से अधिक राशि का भुगतान किया गया है, जिसे वित्त वर्ष 2020-21 की अनुसूची-16 में पूर्व-अवधि व्यय के मद में लिया गया है।
राजस्थान सेल - ₹7,75,589/-

ख) वर्ष 2020-21 के दौरान, ₹6,58,69,532/- का समायोजन पिछले वर्ष की फ्लेक्सी एफडी में मान्यता प्राप्त अतिरिक्त आय के प्रत्यावर्तन के कारण किया गया है, जैसा कि पूर्व-अवधि की मदों (अनुसूची-16) में दिखाया गया है। .

ग) वर्ष 2020-21 के दौरान, ₹1,41,347/- के लिए समायोजन/बुकिंग पिछले वर्ष (एस) सीपीएफ/जीपीएफ निवेश/ब्याज में मान्यता प्राप्त नहीं होने के कारण की गई है जैसा कि पूर्व-अवधि की मदों में दिखाया गया है (अनुसूची-16)।

3. एनसीआर नियोजन एवं निगरानी सेल:

क) बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार, संबंधित एनसीआर सेल/ राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत दावों के सत्यापन के बाद एनसीआर सेल पर खर्च की गई राशि की प्रतिपूर्ति बोर्ड कार्यालय द्वारा की जाती है। चूंकि, वित्तीय वर्ष के समापन और वार्षिक खातों को अंतिम रूप देने के बाद बोर्ड को दावे प्रस्तुत किए जाते हैं, इसलिए एनसीआर प्रकोष्ठों से प्राप्त पिछले दावों/भुगतान के आधार पर वार्षिक खाते में आवश्यक प्रावधान किए गए हैं। तदनुसार, 31.3.2021 तक देय वार्षिक राशि के साथ संलग्न तुलनपत्र की अनुसूची-6 में 31.3.2021 तक देय एनसीआर सेल के खर्च के लिए ₹4,94,84,737/- का प्रावधान किया गया है।

ख) वर्ष 2020-21 के दौरान, लेखों के माध्यम से निम्नलिखित समायोजन पारित किए गए:

(i) **हरियाणा सेल:** वर्ष 2019-20 के लिए हरियाणा सेल को देय खर्चों का प्रावधान ₹1,40,20,303/- था, लेकिन इसके विरुद्ध, ₹1,32,36,557/- का वास्तविक भुगतान किया गया। तदनुसार, ₹7,83,746/- की राशि को वापस लिखा गया।

(ii) **उत्तर प्रदेश सेल:** वर्ष 2019-20 के लिए उत्तर प्रदेश सेल को देय व्यय का प्रावधान ₹2,40,35,066/- था, जिसके विरुद्ध, चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान 2,34,31,794/- (2018-19 और 2019-20 के लिए) का भुगतान किया गया। तदनुसार, ₹6,03,272/- को वापस ले लिया गया है।

(iii) **राजस्थान सेल:** राजस्थान सेल को देय व्यय के लिए वर्ष 2019-20 मे ₹1,54,07,336/- का प्रावधान किया गया परंतु इसके विरुद्ध वर्तमान वित्त वर्ष 2020-21 में ₹1,61,82,925/- की राशि का वास्तविक भुगतान किया गया। तदनुसार, ₹7,75,589/- पूर्व-अवधि मद अनुसूची-16 मे प्रभारित किया गया है।

(iv) **दिल्ली सेल:** दिल्ली सेल को देय व्यय के लिए वर्ष 2019-20 मे ₹20,74,154/- का प्रावधान किया गया था जिसके विरुद्ध वर्तमान वित्त वर्ष 2020-21 मे कोई भुगतान नही किया गया है क्योकि पद रिक्त होने के कारण दिल्ली सेल से कोई दावा प्राप्त नही हुआ है। अत: सीएजी टीम के सुझाव पर ₹63,35,746/- 31.3.2021 तक का प्रावधान किया गया है।

(ग) वित्त वर्ष 2020-21 में निम्न रूप से एनसीआर सेल व्यय के लिए ₹4,94,84,737/- का प्रावधान किया गया है तथा उसे आय एवं व्यय खाते मे प्रभारित किया गया है :

राजस्थान	-	₹1,61,82,925.00
उ.प्र.	-	₹1,37,29,509.00
हरियाणा	-	₹1,32,36,557.00
दिल्ली	-	₹63,35,746.00
कुल	-	**₹4,94,84,737.00**

दिनांक 31.3.2021 को समाप्त वर्ष हेतु वार्षिक लेखों की अनुसूची-6 के अनुसार एनसीआर सेलों को 31.3.2021 तक देय व्यय का कुल प्रावधान ₹4,94,84,737/- किया गया है ।

4. आयकर:

बोर्ड की आय को आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10(23सी)(iv)के अंतर्गत कर-निर्धारण वर्ष 2003-04 से दिनांक 02.05.2008 के आयकर आदेश के तहत आयकर से छूट प्राप्त है। इसे ध्यान मे रखते हुये वर्ष 2020-21 में बोर्ड के वार्षिक लेखों मे आयकर का कोई प्रावधान नही किया गया। तथापि, वर्ष 2020-21 के लिये उधारकर्ता-अभिकार्यों (एजेंसियो)/बैंकों ने वर्ष के दौरान बोर्ड को दिए गए ब्याज भुगतान पर ₹24,66,14,753/- का टी.डी.एस. काटा है। इस राशि में दिनांक 31.03.2020 तक, बैंकों द्वारा निवेशों पर काटा गया टीडीएस ₹4,15,25,188/- तथा ₹20,50,89,565/- (पिछले वर्ष से संबंधित ₹89,26,733/- सहित) रा.रा.क्षे.यो.बो. से ली गई वित्तीय सहायता पर ब्याज भुगतान पर भागीदार राज्यों और उनकी कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा कटौती की गई। अत: ₹24,66,14,753/- की राशि को गत वर्ष के शेष मे जोड़ दिया गया जो कि ₹1,12,18,79,330/- हो गई। साथ ही ₹39,50,07,020/- की कटौती प्राप्त हुई। तदनुसार, संलग्न अनुसूची-10 में शीर्ष "अग्रिम और अन्य वसूली योग्य राशि" के तहत ₹97,34,87,064/- दर्शाया गया है।

5. बहुपक्षीय एवं द्विपक्षीय एजेंसियों से उधार:

(क) **एशियाई विकास बैंक:** दिनांक 31.3.2021 की स्थिति के अनुसार, एडीबी से उठाए गए बकाया ऋण/उधार रिपोर्टिंग मुद्रा में 52.94 मिलियन अमेरिकी डॉलर (₹399.34 करोड़) था। 2020-21 के दौरान एक्सचेंज रेट वैरिएशन पर ₹10.18 करोड़ का लाभ, बकाया ऋण पर "बाजार उधार पर व्यय" के तहत दिखाया गया है और आय एवं व्यय खाते में प्रभारित किया गया है। तदनुसार, एडीबी ऋण का कुल बकाया मूल्यांकन ₹389.16 करोड़ है, जिसमें अनुसूची 4 में दर्शायी गई ₹86.0404 करोड़ की संचित विनिमय दर भिन्नता हानि (डॉलर बनाम रूपया) शामिल है।

(ख) **के.एफ.डब्ल्यू. (जर्मन द्विपक्षीय एजेंसी):** दिनांक 31.3.2021 की स्थिति के अनुसार, के.एफ.डब्ल्यू. से उठाए गए बकाया ऋण/उधार 31.3.2021 को लागू प्रचलित दर के अनुसार रिपोर्टिंग मुद्रा में €60.00 मिलियन (₹492.95 करोड़) था। 2020-21 के दौरान एक्सचेंज रेट वैरिएशन पर ₹23.64 करोड़ की हानि, बकाया ऋण पर, "बाजार उधार पर व्यय" के तहत दिखाया गया है व आय और व्यय खाते में प्रभारित किया गया है। तदनुसार, केएफडब्ल्यू ऋण का कुल बकाया मूल्यांकन, ₹516.59 करोड़ दिखाया गया, जिसमें अनुसूची 4 में ₹95.5268 करोड़ की संचित विनिमय दर भिन्नता हानि (यूरो बनाम रूपया) शामिल है।

6. स्थापना एवं प्रशासनिक व्यय – पूंजी/योजना एवं आय/गैर योजना

अनुसूची 13 में स्थापना व्यय (पूंजी) शीर्ष के अंतर्गत दर्शाए गए ₹83,59,841/- बोर्ड के आंतरिक उपार्जन से वर्ष 2020-21 के दौरान, बोर्ड के 10 कर्मचारियों को दिए गए वेतन के सम्बंध में है। ये 5 पद वर्ष 1998-99 में सरकार द्वारा सृजित/स्वीकृत किए गए थे तथा इन पदों के लिए बोर्ड के आंतरिक जमा से व्यय किया जाता है। इसके अतिरिक्त 5 अस्थाई पद आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के पत्र दिनांकित 27.01.2011 के द्वारा परियोजना प्रबंधन इकाई (प्रोजेक्ट विंग) के लिए सृजित किए गए है जिनके लिए बोर्ड की आंतरिक आय से व्यय किया जाना अपेक्षित है। तदनुसार, बोर्ड कार्यालय वार्षिक लेखों में दर्शाए अनुसार वर्ष 1999-2000 से इस व्यय को अपने आंतरिक उपार्जन से जमा कर रहा है तथा इसे आय-व्यय (पून्जी/योजना) में दर्शाया जा रहा है।

भारत सरकार द्वारा आय/गैर योजनागत शीर्ष के अंतर्गत स्थापना एवं प्रशासनिक व्यय के लिए दिए गए बजट समर्थन के अलावा बोर्ड अपने आंतरिक प्रोद्भवन से सभी खर्च पूर्ण करता है।

7. निवेश: ईक्विटी एनसीआर परिवहन निगम लि. में योगदान

एनसीआर परिवहन निगम के गठन के लिए कैबिनेट नोट को दिनांक 11.07.2013 को मंजूरी दी गई। दिनांक 01.08.2013 को संस्थापन प्रलेख और संस्था के अंतर्नियम हस्ताक्षरित किए गए और एनसीआरटीसी लिमिटेड को 21.08.2013 को निगमित किया गया। इसके अलावा, बोर्ड की 34वीं बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि कार्यान्वयन से संबंधित सभी मुद्दों, आरआरटीएस परियोजनाओं के संरेखण सहित एनसीआरटीसी द्वारा देखे जायेंगे। एनसीआरटीसी, ₹100 करोड़ के प्रारंम्भिक कोष के साथ, आरआरटीएस कोरीडोर के डिजाइन, वित्त पोषण और कार्यान्वयन का स्वामित्व रखता है तथा इस प्रारंम्भिक कोष में निम्नलिखित अंशदान दिए जाने है :-

क्रम सं	**इकाई/प्रमोटरों की प्रकृति**	**एनसीआरटीसी में हिस्सा(%)**	**रकम (करोड़ ₹ में)**
1.	शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार	22.50%	22.50
2.	रेल मंत्रालय, भारत सरकार	22.50%	22.50
3.	रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार	12.50%	12.50
4.	उत्तर प्रदेश सरकार	12.50%	12.50
5.	हरियाणा सरकार	12.50%	12.50
6.	राजस्थान सरकार	12.50%	12.50
7.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड	5.00%	5.00
	कुल	**100.00%**	**100.00**

वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रीय योजना बोर्ड ने एन.सी.आर. ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड में ₹5.00 करोड़ की इक्विटी शेयर में निवेश किया है जिसके अनुरूप एनसीआर परिवहन निगम लिमिटेड ₹100 प्रत्येक मूल्य के 5,00,000 शेयर प्रमाण पत्र जारी किए हैं जो कि विशिष्ट प्रमाण पत्र संख्या 3 और 10 विशिष्ट संख्या के अनुसार 2501 से 2750 अर्थात

250 इकाइयाँ और विशिष्ट संख्या 1754001 से 2253750 अर्थात् 499750 इकाइयाँ, जो की सदस्य सचिव रा.रा.क्षे.योजना बोर्ड या निदेशक एन.सी.आर.टी.सी. के पक्ष में जारी हैं।

8. 31.3.2021 के अनुसार राज्य सरकार को जारी ऋण/अग्रिमों की बकाया राशि ₹50,82,80,50,699/- है जो अनुसूची-10 में दर्शाई गई है:

राज्य	**रकम (₹ करोड़ मे)**
राजस्थान उपक्षेत्र & सीएमए	1951.48
उत्तर प्रदेश उपक्षेत्र	2070.39
हरियाणा उपक्षेत्र	1020.79
दिल्ली	8.89
सीएमए पटियाला	31.26
कुल	**5082.81**

9. खराब और संदिग्ध ऋण:

क) ₹3,60,000/- (31.3.2020 तक के लिए ₹98,361/- सहित) को "खराब और संदिग्ध ऋण (प्रावधान)" के तहत दिखाया गया है, जो कई वर्षों से अप्राप्य हो रहे हैं, जैसा कि सीएजी की लेखापरीक्षा टीम के साथ चर्चा की गई ।

10. आय एवं व्यय खाते तथा बैलेंस शीट में चालू वर्ष के वर्गीकरण की पुष्टि करने के लिए पिछले वर्ष के आंकडें, जहां आवश्यक हो, पुन: समूहबद्ध/पुर्नव्यवस्थित किए गए है ।

ह/-	ह/-	ह/-
वित्त एवं लेखा अधिकारी	निदेशक (प्रशा. एवं वित्त)	सदस्य सचिव

दिनांक : 14 जुलाई, **2021**
स्थान : नई दिल्ली